



मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 292/2022

वादपत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

1. नक्षत्र सिंह पुत्र हरदत सिंह जाति कुम्हार सिख सा. संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. सुखविन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह जाति जटसिख सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. सुखप्रीत कौर पुत्री रतन सिंह जाति जटसिख सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. राजपाल कौर पुत्री रतन सिंह जाति जटसिख सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. पार्वती देवी पत्नी अमरदेव जाति कुम्हार सा. संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादीगण

बनाम

1. अमरजीत सिंह पुत्र चनन सिंह जाति जटसिख सा. राधास्वामी डेरा के पास वार्ड नं. 12 संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. जीत सिंह पुत्र चनन सिंह जाति जटसिख सा. राधास्वामी डेरा के पास वार्ड नं. 12 संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. नंद सिंह पुत्र गुरमुख सिंह जाति कुम्हार सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. मिटु सिंह पुत्र मेहर सिंह जाति कुम्हार सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. महाना सिंह पुत्र लाल सिंह जाति कुम्हार सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
6. सुल्तान पुत्र रामजस जाति बिश्नोई वार्ड नं. 16 संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
7. विक्रम पुत्र विश्वदेव जाति बिश्नोई वार्ड नं. 16 संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
8. विकास पुत्र विनोद जाति बिश्नोई वार्ड नं. 16 संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
9. सम्पूर्ण सिंह पुत्र गुरमुख सिंह जाति कुम्हार सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
10. तहसीलदार राजस्व संगरिया तह संगरिया जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :-

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री वकील प्रतिवादी संख्या.....मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

चक 5 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 56/74 (कुल 4.364 है.) मौके पर कब्जा काशत की भूमि :-

1. राजपालकौर पुत्री रतन सिंह 690/2087 सुखप्रीतकौर पुत्री रतन सिंह 1296/2087 सुखविन्द्र सहि पुत्र रतन सिंह 101/2087 जाति जटसिख सा.नाथवाना पं.न. 175/170 मु. न. 22 किला नम्बर 3/1/0.215, 3/2/.0038 गै.मु. रास्ता 8/0.253 है. 13/0.253 है. 14/2/0.063 है. 16,17,18/0.253 है. प्र. 23,24/0.253 है.प्र. कुल 2.087 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता
2. पर्वतीदेवी पत्नी अमरदेव जाति कुम्हार सा.संगरिया प.नं. 175/170 मु.नं. 22 किला नम्बर 19/0.253 है. 22/0.253 है. कुल 0.506 है नहरी
3. नक्षत्र सिंह पुत्र हरदत्त सिंह जाति कुम्हार सिख साकिन संगरिया पं.न. 175/171 मु.न. 31 किला नम्बर 2,3,4,8,9,1213/0.253 है.प्र. कुल 1.771 है नहरी

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंशा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./023/713 दिनांक 01.03.2023 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....x.....मुब्लिक.....x.....बाबत.....100/-.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....x.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22/03/2023 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया